

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2019/पार्ट-2/ 8379

दिनांक : 12/10/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर),
भरतपुर, राजसमन्द, टोंक एवं झुंझुनू।

विषय :- नगरनिकायों के आम चुनाव, 2020-21 - निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :- आयोग का पत्र क्रमांक एफ.3 (1)(1) नपा/ रानिआ/ 2019/ पार्ट-2/ 3875
दिनांक 01.06.2020

महोदय,

भरतपुर जिले की 8 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह दिसम्बर, 2020, राजसमन्द, टोडारायसिंह व मालपुरा नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह जनवरी, 2021 में तथा झुंझुनू जिले की विद्याविहार नगरपालिका का कार्यकाल माह मार्च, 2021 में पूर्ण हो रहा है। इन नगरपालिकाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगर निकाय का नाम
1.	भरतपुर	1.	बयाना
		2.	भुसावर
		3.	डीग
		4.	कामां
		5.	कुम्हेर
		6.	नदवई
		7.	नगर
		8.	वैर
2.	राजसमन्द	1.	नगरपरिषद राजसमन्द
3.	टोंक	2.	नगरपालिका मालपुरा
		3.	नगरपालिका टोडारायसिंह
4.	झुंझुनू	1.	नगरपालिका विद्याविहार

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2020 के संदर्भ में करवाया जाएगा, किन्तु प्रारूप प्रकाशन वर्तमान नगरपालिका मतदाता सूचियों के स्थान पर विधानसभा की निर्वाचक नामावली, जिसका अन्तिम प्रकाशन 19.02.2020 को किया गया है, के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड/भागवार फोटोयुक्त भौतिक रूप से सत्यापित मतदाता सूची से कराया जाएगा।

उक्तानुसार प्रारूप प्रकाशन हेतु मतदाता सूचियाँ विधानसभा की निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को सम्बन्धित नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्डों/भागों में विभाजित कर प्रारूप मतदाता सूची तैयार की

जाएगी। मतदाता सूची तैयार करने हेतु सम्पादित किए जाने वाले समस्त कार्य की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	कार्य/गतिविधि का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	प्रपत्र-ए की सूचना e-suchi पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि	18.10.2020 (रविवार) तक
2.	चैक लिस्ट मतदाता सूची का प्रिंट लेकर प्रतियां तैयार करने की तिथि	19.10.2020 (सोमवार) तक
3.	प्रगणकों एवं ईआरओ/ईआरओ द्वारा मतदाताओं के भौतिक सत्यापन हेतु अवधि	23.10.2020 (शुक्रवार) तक
4.	संशोधित प्रपत्र-ए (आवश्यक होने पर) अपलोड करने की अंतिम तिथि	27.10.2020 (मंगलवार) तक
5.	प्रारूप मतदाता सूची के सही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रेषित करने एवं प्रारूप प्रकाशन के लिए मतदाता सूची का प्रिंट लेकर प्रतियां तैयार करने की तिथि	28.10.2020 (बुधवार) तक

मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	30.10.2020 (शुक्रवार)
2.	विशेष अभियान की तिथियाँ	01.11.2020 (रविवार)
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.11.2020 (गुरुवार)
4.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	11.11.2020 (बुधवार)
5.	पूरक सूचियों की तैयारी	14.11.2020 (शनिवार)
6.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	16.11.2020 (सोमवार)

मतदाता सूचियाँ तैयार करने हेतु सन्दर्भित पत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश अंकित किए गए हैं। उक्त पत्र में अंकित दिशा-निर्देश यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

संलग्न : आयोग का सन्दर्भित पत्रांक 3875 दिनांक 01.06.2020

आज्ञा से

(Signature)
12/10

(श्याम सिंह राजपुरोहित)

सचिव

दिनांक : 12/10/2020

क्रमांक : एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2019/पार्ट-2/ 8386-8383

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
3. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(Signature)
12/10/20

सहायक सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग